[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

आयकर

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख 2 दिसंबर , 2015

सा.का.नि 923(अ)--केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 के साथ पठित धारा 282 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :--

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (अठारहवाँ संशोधन) नियम, 2015 है ।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे ।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 126 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :--

"**सूचना, समन, अध्यपेक्षा, आदेश और अन्य संसूचना की तामील ।**

127.(1) धारा 282 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, पता (जिसके अंतर्गत इलैक्ट्रानिकी मेल या इलैक्ट्रानिकी मेल मैसेज के लिए पता भी है) जिस पर अधिनियम के अधीन किसी सूचना या समन या अध्यपेक्षा या आदेश या किसी अन्य संसूचना (जिसे इस नियम में इसके पश्चात् "संसूचना" कहा गया है) का उपनियम (2) के अनुसार परिदान या पारेषण किया जा सकेगा ।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट पता निम्नलिखित के लिए होगा,--

(क) धारा 282 की उपधारा (1) के खंड (क) या खंड (ख) में उपबंधित रीति में परिदान की गई या पारेषित सूचनाओं के लिए—

(i) संबोधिती के पैन डाटा बेस में उपलब्ध पता ; या

(ii) आयकर विवरणी, जिससे संसूचना संबंधित है, में उपलब्ध पता ; या

(iii) संबोधिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध पता ; या

(iv) संबोधिती के कोई कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का पता :

परंतु मद (i) से मद (iv) में वर्णित पते पर किसी संसूचना का परिदान या पारेषण वहां नहीं किया जाएगा, जहां संबोधिती ने आयकर प्राधिकारी या ऐसे प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को संसूचना जारी करने के लिए संसूचना के प्रयोजन के लिए लिखत में कोई अन्य पता प्रस्तुत किया है ;

(ख) इलैक्ट्रानिकी रूप से परिदत्त या पारेषित संसूचनाओं के लिए,--

(i) आयकर विवरणी, जिससे संसूचना संबंधित है, में उपलब्ध ई-मेल ; या

(ii) संबोधिती द्वारा प्रस्तुत अंतिम आयकर विवरणी में उपलब्ध ई-मेल ; या

(iii) संबोधिती के कोई कंपनी होने की दशा में, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर यथा उपलब्ध रजिस्ट्रीकृत कार्यालय का ई-मेल ; या

(iv) संबोधिती द्वारा आयकर प्राधिकारी या ऐसे आयकर प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को उपलब्ध कराया गया ई-मेल ।

(3) प्रधान महानिदेशक, आयकर (प्रणालियां) या महानिदेशक, आयकर (प्रणालियां) इलैक्ट्रानिकी संसूचना के सुरक्षित पारेषण का सुनिश्चय करने के लिए प्रक्रिया, प्रारूप और मानक विनिर्दिष्ट करेगा तथा वह ऐसी संसूचना के संबंध में समुचित सुरक्षा, अभिलेखीय और पुन: प्राप्ति नीतियों की विरचना और कार्यान्वयन के लिए भी उत्तरदायी होगा ।"

(अधिसूचना सं. 89/2015/फा.सं. 133/79/2015-टीपीएल)

(एकता जैन)
उप सचिव, भारत सरकार

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 969(अ) तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनका अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 2877 (अ) तारीख 20 अक्टूबर, 2015 को (सत्रहवाँ संशोधन) नियम द्वारा किया गया था ।